

फ़ैक्स संदेश संख्या 8533/भा.कृ.अ.प. मुख्या-
दिनांक 15/10/2013
पृष्ठों की संख्या 03

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन: नई दिल्ली



फा0सं0 12(4)/2007-सीडीएन (ए एंड ए)

दिनांक 15 अक्टूबर, 2013

पृष्ठांकन

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केन्द्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिक उत्पादों के प्रापण से संबंधित संविदाओं में विनिमय दर अंतर खंड को शामिल किया जाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 के इस कार्यालय ज्ञापन सं0 26/1/2012-पी पी डी को भा.कृ.अ. प. की वेबसाइट में सूचना, मार्गदर्शन तथा अनुपालन हेतु अपलोड किया जा रहा है।

राजेश
15/10/2013
(राजेश सहाय)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी

वितरण:

I. भा.कृ.अनु.प. के संस्थान आदि

1. सभी अनुसंधान संस्थानों /परियोजना निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों तथा ब्यूरो के निदेशक/संयुक्त निदेशक/परियोजना निदेशक
2. परियोजना समन्वयक/समन्वित अनुसंधान परियोजना/क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय
3. सभी अनुसंधान संस्थानों /परियोजना निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों तथा ब्यूरो के वित्त एवं लेखाधिकारी

II. भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय

1. भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली के कृषि अनुसंधान भवन 1 व 2 सहित एनएएससी परिसर, पूसा नई दिल्ली के सभी अधिकारी/विभाग
2. एडीजी(सीडीएन)/एडीजी (पीआईएम)/पीडी, डीकेएमए
3. राष्ट्रीय निदेशक, एनएआईपी /चैयरमेन, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
4. एनसी, एनएफबीएसएफएआरए
5. निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (डेयर)/उपसचिव(जीएसी)
6. उपसचिव(कार्मिक अध्ययन)/उपसचिव(जीएसी)/अवर सचिव(रोकड)
7. रोकड-I, II एवं लेखा परिक्षा-II अनुभाग, भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली
8. सचिव, डेयर तथा महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. के वरिष्ठ पीपीएस/अपर सचिव, डेयर तथा सचिव, भा. कृ.अ.प. के पीपीएस/अपरसचिव तथा वित्तीय सलाहकार, डेयर/भा.कृ.अ.प के पीपीएस।
9. श्री हंसराज, सूचना प्रणाली अधिकारी, डीकेएमए, केएबी-1 को इस सूचना को भा.कृ.अ.प. की वेबसाइट में दर्ज करने हेतु।
10. सचिव (स्टॉफ पक्ष), सीजेएससी, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद
11. गार्ड फाइल।
12. अतिरिक्त प्रतियां (10)

च. न. (1241) 6 > (31917)

545

अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार
(डेयर/भा. म. अनु. परिषद)
Addl. Secretary & Fin. Adviser
(DARE/ICAR) 39412
डा. स./Dy. No. Date

F.No.26/1/2012-PPD
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 1st October, 2013

8/10/2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Inclusion of Exchange Rate Variation (ERV) clause in Contracts relating to procurement of IT products.

The undersigned is directed to say that in the background of the decline in the value of the Indian Rupee in the recent past, there have been several representations from IT hardware industry for the inclusion of an Exchange Rate Variation Clause in Government contracts for products like computers, tablets, laptop, printers, which have a significant import content, and are therefore adversely affected with the drop in the value of the Indian Rupee.

2. In this context, attention of all procuring entities in Government is invited to the manual on Policies and Procedures for purchase of goods, Para 9.3.4 of which provides for inclusion of an Exchange Rate Variation (ERV) clause in cases of a contract involving substantial import content and having a long delivery period (exceeding one year from the date of contract). In such cases an appropriate Foreign Exchange Variation clause may be formulated by the Purchase Organization in consultation with its Finance Wing, as needed, and incorporated in the Tender Enquiry Document.

3. Care may be taken to ensure that the ERV clause is structured appropriately and with no ambiguity. The price agreed upon should specify the base level Exchange Rate viz., the month and year to which the price is linked, to enable variations being calculated with reference to the rate prevailing in that month and year. A formula for calculation of the rate variations that have taken place between the Base level and the Scheduled Delivery Date should be included in this clause. The variations should be calculated by using indices published by Governments periodically. The tenderers should clearly indicate the import content and the currencies used for calculating the value of import content in their total quoted price, which will be in Indian Rupees.

4. The procuring entity should also ensure that an assessment of the likely financial implication of the ERV clause should be made and IT procurements calibrated so as to ensure that they are need-based and they remain within the available budget. Requests for allocation of additional funds on this score would not be entertained.

All the Ministries/Departments are requested to bring the amendments to the notice of their attached and subordinate offices for their information and necessary action.

6. Hindi version of this O.M. will follow.

Under Secretary to the Government of India.

(Vinayak T. Likhar)

1. Secretaries of all Ministries/Departments of the Government of India.

2. Controller General of Accounts (CGA).

3. Financial Advisers of all Ministries/Departments of the Government of India.

4. Copy forwarded to C&AG (with usual No. of spare copies) and to Secretary, Union Public Service Commission, etc. as per standard endorsement list.

(Vinayak T. Likhar)

Under Secretary to the Government of India.

This OM is also available on our website <http://finmin.nic.in>

31/10/13
Director (F) No. 1582
DARE/ICAR
8/10/13

8/10
ISTF
DITF (ICAR)
DITF
9.10.2013
SO (C&AG)

En. G.R.
En.
1.10.13

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

63 दिनांक

नई दिल्ली, 01 अक्टूबर 2013

कार्यालय जापन

विषय: सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के प्रापण से संबंधित संविदाओं में विनिमय दर अंतर खंड को शामिल किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ कि हाल ही में भारतीय रुपए के मूल्य में आई गिरावट की पृष्ठभूमि में, आईटी हार्डवेयर उद्योग से कंप्यूटरों, टेबलेट, लैपटॉप, प्रिंटरों आदि जैसे उत्पादों जिनका काफी मात्रा में आयात होता है, और इसलिए भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, के लिए सरकारी संविदाओं में विनिमय दर अंतर खंड को शामिल किए जाने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

2. इस संदर्भ में, सरकार की सभी प्रापण इकाईयों का ध्यान माल के क्रय के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं की नियम-पुस्तक की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके पैरा 9.3.4 में संविदा के ऐसे मामलों के लिए विनिमय दर अंतर खंड शामिल किए जाने का प्रावधान है जिनमें काफी आयात घटक शामिल होता है और जिनकी डिलीवरी अवधि लंबी (संविदा की तारीख से एक वर्ष से अधिक) है। ऐसे मामलों में, प्रापण संगठन अपने वित्त स्क्व के परामर्श से आवश्यकता अनुसार उपयुक्त विदेशी मुद्रा अंतर खंड तैयार कर सकता है और उसे निविदा पृष्ठताछ दस्तावेज में शामिल कर सकता है।

3. विनिमय दर अंतर खंड की सही संरचना सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जाए और इसमें कोई अस्पष्टता न हो। सहमत मूल्य में विनिमय दर के आधार स्तर अर्थात् उस माह और वर्ष जिससे मूल्य का संबंध है का उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि उस माह और वर्ष में प्रचलित दर के संदर्भ में अंतर की गणना की जा सके। इस खंड में आधार स्तर और नियत डिलीवरी तारीख के बीच दर में आए अंतर की गणना का फार्मूला शामिल किया जाए। सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित सूचकांकों का उपयोग करके अंतर की गणना की जानी चाहिए। निविदादाताओं को आयात घटक और अपने कुछ उद्धृत मूल्य में जो भारतीय रुपए में होगा आयात घटक के मूल्य की गणना के लिए प्रयुक्त मुद्राओं का साफ तौर पर उल्लेख करना चाहिए।

4. प्रापण इकाई को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विनिमय दर अंतर खंड के संभावित वित्तीय निहितार्थ का आकलन किया जाए और सूचना प्रौद्योगिकी प्रापण अंशकित किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जरूरत-आधारित हैं और वे उपलब्ध बजट के भीतर ही रहें। इसके कारण अतिरिक्त निधियों के आबंटन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इन संशोधनों को अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।

(विनायक टी. लिखार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. महालेखा नियंत्रक।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकार।
4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) और सचिव, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार प्रतिलिपि प्रेषित।

(विनायक टी. लिखार)

अवर सचिव, भारत सरकार